14/01/2026

—प्रकरण प्रस्तुत।

—प्रकरण का अवलोकन किया।

—आवेदक जिला परिवहन अधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक/1044/स्था0/2025 कोरबा, दिनांक 28/10/2025 के अनुसार भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा—निर्देशों के परिपेक्ष्य में सड़क सुरक्षा को बढावा देने की दिशा में जिलों में मोटरयानों के निरीक्षण एवं प्रमाणन सेंटर तथा परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड परीक्षण प्रमाणी (ई—टैंक) की स्थापना हेतु ग्राम—बुंदेली, तहसील भैसमा स्थित ख.नं.—7 रकबा 2.8300 हे. शासकीय भूमि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के आदेश क्रमांक/9788/भू—बंटन/2025 कोरबा, दिनांक— 22/07/2025 के द्वारा परिवहन विभाग को आबंटित किया गया है। आबंटित भूमि पर विभिन्न प्रकार के छोटे—बड़े लगभग 45 पेड़ स्थित है। ई—ट्रेक निर्माण हेतु उक्त वृक्षों की कटाई की अनुमति चाही गई है।

—कार्यालय वन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कोरबा, (छ.ग.) क्रमांक/तक.अ./7513 कोरबा, दिनांक— 29/12/2025 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर ग्राम बुंदेली के खसरा नम्बर 07 रकबा 2.8300 हे. शासकीय भूमि राजस्व मद में दर्ज है, मौका स्थल पर साल प्रजाति के 22 नग वृक्ष एवं अन्य प्रजाति के 23 नग वृक्ष 45 नग वृक्ष जीवित अवस्था में स्थित है। उक्त स्थित वृक्ष को वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा द्वारा गणना कर गणना पत्रक एवं विदोहन योजना सहित प्रारूप —घ में तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप—धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

—छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित हैः—

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।
– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।
नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 1959 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।
– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।
– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
–अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– बुंदेली, आवेदक जिला परिवहन अधिकारी कोरबा के खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8300 हे. भूमि पर स्थित कुल 45 नग, साल–22 नग एवं 23 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।
– आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।
–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,
जिला परिवहन अधिकारी,
निवासी– ग्राम बुंदेली,. प.ह.नं.–
तहसील–भैसमा, ज़िला.–कोरबा,

1/1/26

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे कुल –45 नग वृक्ष को काटने की अनुमति बाबत्।

आवेदक जिला परिहवन अधिकारी कोरबा, छ.ग. के पत्र कमांक/1044/स्था0/2025 कोरबा, दिनांक 28/10/2025 के अुनसार भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में सड़क सुरक्षा को बढावा देने की दिशा में जिलों में मोटरयानों के निरीक्षण एवं प्रमाणन सेंटर तथा परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड परीक्षण प्रमाणी (ई–टैंक) की स्थापना हेतु ग्राम–बुंदेली, तहसील भैसमा स्थित ख.नं.–7 रकबा 2.8300 हे. शासकीय भूमि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के आदेश कमांक/9788/भू–बंटन/2025 कोरबा, दिनांक– 22/07/2025 के द्वारा परिवहन विभाग को आबंटित किया गया है। आबंटित भूमि पर विभिन्न प्रकार के छोटे–बड़े लगभग 45 पेड़ स्थित है। ई–ट्रेक निर्माण हेतु उक्त वृक्षों की कटाई की अनुमति चाही गई है।

कार्यालय वन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कोरबा, (छ.ग.) कमांक/तक.अ./7513 कोरबा, दिनांक– 29/12/2025 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर ग्राम बुंदेली के खसरा नम्बर 07 रकबा 2.8300 हे. शासकीय भूमि राजस्व मद में दर्ज है, मौका स्थल पर साल प्रजाति के 22 नग वृक्ष एवं अन्य प्रजाति के 23 नग वृक्ष 45 नग वृक्ष जीवित अवस्था में स्थित है। उक्त स्थित वृक्ष को वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा द्वारा गणना कर गणना पत्रक एवं विदोहन योजना सहित प्रारूप –घ में तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– बुंदेली, आवेदक जिला परिवहन अधिकारी कोरबा के खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8300 हे. भूमि पर स्थित कुल 45 नग, साल–22 नग एवं 23 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 22 नग साल एवं 23 अन्य प्रजाति के कुल–45 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभाग–कोरबा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

....2...

पृ.क्र.......158......./अ.वि.अ./वाचक/2026 कोरबा, दिनांक 19/1/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र कोरबा, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –भैसमा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग, कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)